रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14/92.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 21 अक्तूबर, 1992/29 आश्विन, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 21 अक्तूबर, 1992

संख्या 9-2/92-परिवहन-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटर परिवहन यान (पथकर) अध्यादेश, 1992 के खण्ड 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर परिवहन यान, (पथकर) नियम, 1992 है ।

(2) ये नियम तुरन्त लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;

(ख) "अध्यादेश" से अभिप्राय है, हिमाचल प्रदेश मोटर परिवहन यान (पथकर) अध्यादेश, 1992 है ; और

(ग) "खण्ड" से अभिप्राय है, अध्यादेश का खण्ड ।

2804-राजपत्र/92-21-10-92—1,709. (3221) मूल्य : 1 रुपया ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु मोटर यान अधिनियम, 1988 और हिमाचल प्रदेश मोटर परिवहन यान (पथकर) अध्यादेश, 1992 में परिभाषित हैं के वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम और अध्यादेश में हैं।

3. रोके गए यान अथवा उसके किसी भाग अथवा उपकरण का निपटान खण्ड 6(3).—(1) जब खण्ड 6 के उप-खण्ड (2) के अधीन कोई पथकर अधिकारी कार्यवाही करता है तो वह रोक आदेश को प्ररूप-I में (तीन प्रतियों में) तैयार करेगा और आदेश की एक प्रति चालक अथवा मोटर परिवहन यान के भारसाधक किसी अन्य व्यक्ति को दे देगा और आदेश की तीसरी प्रति पर उसके हस्ताक्षर करवाएगा।

(2) पथकर अधिकारी अपनी अभिरक्षा में रोके गए मोटर परिवहन यान अथवा वस्तुओं को चौबीस घण्टे तक रोक कर रख सकता है और यदि इस अवधि के दौरान पथकर और/या शास्ति का भुगतान नहीं किया जाता है तब पथकर अधिकारी रोके गए मोटर परिवहन यान अथवा वस्तुओं को निकटतम पुलिस थाना को भेजेगा अथवा भिजवाएगा और इस प्रयोजन के लिए वह चालक से यान को चलाकर ले जाने की अपेक्षा करेगा।

(3) रोक आदेश की एक प्रति पथकर अधिकारी द्वारा चालक अथवा यान के भारसाधक किसी अन्य व्यक्ति को दी जाएगी और दूसरी प्रति उस पुलिस अधिकारी को दी जाएगी जिसकी अभिरक्षा में यान दिया जाता है और तीसरी प्रति पथकर अधिकारी द्वारा अपने रिकार्ड के लिए रखी जाएगी।

(4) खण्ड 6 के उप-खण्ड (2) के अधीन यान अथवा रोकी गई वस्तुएं पथकर और/या शास्ति के भुगतान पर छोड़ी जाएगी और जहां यान अथवा वस्तुएं पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हैं वहां प्ररूप-II में छोड़े जाने के आदेश पथकर अधिकारी द्वारा जारी किए जायेंगे और छोड़े जाने के आदेश की प्राप्ति पर यान अथवा वस्तुएं तुरन्त छोड़ दी जाएंगी।

(5) यदि रोक तिथि से 15 दिन की अवधि के बाद देय पथकर और/या शास्ति का भुगतान नहीं किया जाता है तो रोका गया यान अथवा वस्तुओं का, पथकर अधिकारी द्वारा सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्बद्ध यान के संचालक के जोखिम और खर्चों पर निपटान किया जाएगा और बिक्रय-आगम, संचालक को उसमें से देय पथकर और/या शास्ति नीलामी पर किए गए खर्च सहित काटने के बाद, वितरित कर दिए जायेंगे।

(6) नकद प्रतिभूति-शास्ति की ओर समायोजन की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, संचालक को लौटा दी जाएगी।

(7) सभी पथकर अधिकारी, राज्य में चलाए जाने वाले किसी भी यान को सत्यापन के प्रयोजन के लिए, चाहे पथकर का भुगतान किया गया है अथवा नहीं, जांच कर सकते हैं।

4. खण्ड 7(2) के अधीन अपील प्राधिकारी.—खण्ड 7 के उप-खण्ड (2) के प्रयोजन के लिए अध्यादेश के अधीन अपील प्राधिकारी, निदेशक परिवहन, हिमाचल प्रदेश होगा।

5. खण्ड 8(1) के अधीन कर के उद्ग्रहण, भुगतान तथा संग्रहण की रीति.—(1) मोटर परिवहन यान का चालक अथवा भारसाधक व्यक्ति पथकर संग्रहण के लिए स्थापित किए गए नाकों पर प्ररूप-III में उचित रसीद पर नकद रूप में पथकर अधिकारी को पथकर का भुगतान करेगा।

(2) यदि पथकर अधिकारी के पास विश्वास करने के लिए कारण है कि मोटर परिवहन यान देय पथकर का भुगतान किए बिना हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमाओं में दाखिल हो गया है, तो वह मोटर परिवहन यान के चालक अथवा भारसाधक व्यक्ति को प्रतिवेदन करने का उचित अवसर प्रदान करने के बाद ऐसे यान पर पथकर लगा सकता है और उसे वसूल कर सकता है।

6. खण्ड 9 के अधीन एक मुश्त करारनामा.—जहां पथकर का भुगतान एक मुश्त करने के लिए प्ररूप-IV में कोई करार किया गया है, वहां पथकर के भुगतान की प्रविष्टियों को दर्शाने वाले, जिन्हे नाके के भारसाधक पथकर अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया हो, पृष्ठांकन सहित ऐसा करारनामा किसी भी पथकर अधिकारी द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत किया जाएगा । एक मुश्त राशि के लिए संगणना दिनों की संख्या द्वारा गुणा की गई प्रचलित दर पर की जाएगी जिसके लिए करारनामा किया गया है ।

प्ररूप-I

रोक आदेश

(तीन प्रतियों में)

[नियम 3(i)]

संख्या.....

तारीख.....

यान संख्या.....का चालक हिमाचल प्रदेश राज्य में दाखिल होने के समय पथकर के भुगतान करने में असफल रहा है और उसे पथकर जमा न कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से कारण बताने के लिए सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया था । वह पथकर जमा न कराने के लिए निश्चायक कारण बताने में असफल रहा है । मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उसने हिमाचल प्रदेश मोटर परिवहन यान (पथकर) अध्यादेश, 1992 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है । इसलिए, मैं पथकर की वसूली के लिए वाहन अथवा किसी भाग अथवा उपकरण को रोकता हूं ।

पथकर अधिकारी ।

(मोहर)

पृष्ठांकन संख्या.....तारीख.....

निम्नलिखित को एक प्रति:—

1. यान का स्वामी/चालक ।
2. पुलिस अधिकारी ।
3. कार्यालय नस्ति ।

पथकर अधिकारी ।

(मोहर)

प्ररूप-II

छोड़े जाने के आदेश

[नियम 3 (4)]

वाहन संख्या/उसका उपकरण को पथकर का भुगतान न करने के लिए आदेश संख्या.....तारीख द्वारा रोका गया था ।

चूंकि पथ कर का उक्त भुगतान यान के स्वामी/चालक से वसूल कर लिया गया है, इसलिए, मैं यान/उनके उपकरण को छोड़ने के लिए आदेश करता हूं।

पथकर अधिकारी।
(मोहर)

पृष्ठांकन संख्या.....
तारीख.....

निम्नलिखित को प्रति:—

1. यान का स्वामी/चालक।
2. पुलिस अधिकारी।
3. कार्यालय नस्ति।

पथकर अधिकारी।
(मोहर)

प्रारूप-III

[नियम 5 (i)]

पुस्तक संख्या.....प्राप्ति संख्या.....तारीख.....

हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग

लेखा शीर्ष:

0041—वाहनों पर कर।
102—राज्य मोटर यान कराधान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां।
03—टौल (पथकर)।

श्री.....से.....की राशि (शब्दों में रुपये.....) नकद रूप में.....यान संख्या.....के सम्बन्ध में तारीख.....को इसकी हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश पर पथकर के सिलसिले में धन्यवाद सहित प्राप्त किए।

हस्ताक्षर.....
पथकर अधिकारी अथवा
नाके भारसाधक अधिकारी।

प्ररूप-IV

एक मुश्त करारनामा

(नियम 6)

यह करारनामा वर्ष के दिन को नाके के भारसाधक अथवा पथकर अधिकारी, एक पक्षकार और श्री यान संख्या केसंचालक दूसरे पक्षकार के बीच तय पाया।

चूंकि यान का संचालक पथकर का भुगतान करने के लिए की अवधि के लिए रुपय की राशि का एक मुश्त अग्रिम रूप में भुगतान करने का इच्छुक है ।

पथकर अधिकारी अथवा
नाके के भारसाधक अधिकारी
के हस्ताक्षर ।

वाहन सख्या के

संचालक के हस्ताक्षर ।

आदेश द्वारा,
आर0 के0 आनन्द
वित्तायुक्त एवं सचिव (परिवहन);
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या 9-2/92-परि0-II— शिमला-2, अक्तूबर, 1992.
निम्नलिखित को प्रति प्रेषित है:—

1.
2.
3.
4.
5.

वित्तायुक्त एवं सचिव (परिवहन),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

[*Authoritative English Text of Government Notification No.* 9-2/92-*Tpt-II, dated* 21-10-92 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Shimla-2, *the* 21*st October*, 1992

No. 9-2/92-Tpt-II.—In exercise of the powers conferred by clause 13 of the Himachal Pradesh Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance, 1992, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Transport Vehicles (Toll) Rules, 1992.

(2) These rules shall come into force atonce.

2. *Definitions.*—(1) In these rules unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Form" means the form appended to these rules;

(*b*) "Ordinance" means the Himachal Pradesh Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance, 1992; and

(c) "Clause" means a clause of the Ordinance.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Motor Vehicles Act, 1988 and Himachal Pradesh Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance, 1992, shall have the respective meanings assigned to these in the Act and Ordinance.

3. *Disposal of detained vehicle or any part of accessory thereof under clause* 6 (3).—(1) When the Toll Tax Officer takes action under sub-clause (2) of clause 6, he shall prepare a detention order in Form-I (in triplicate) and serve a copy of the order on the driver or any other person incharge of the motor transport vehicle and obtain his signatures on the third copy of the order.

(2) The Toll Tax Officer may keep the motor transport vehicles or things detained in his custody for 24 hours and if during that period, toll and/or penalty is not paid, then the Toll Tax Officer shall send or cause to be sent the motor transport vehicle or things detained to the nearest police station and may for that purpose require the driver to drive the vehicle.

(3) One copy of the detention order shall be given by the Toll Tax Officer to the driver or any other person incharge of the vehicle and the second copy shall be given to the police officer in whose custody the vehicle is given and the third copy retained by the Toll Tax Officer for his record.

(4) The vehicle or things detained under sub-clause (2) of clause 6 shall be released on payment of the toll and/or penalty and where the vehicle or things are in the custody of the police officer, a release order in Form-II shall be issued by the Toll Tax Officer and on receipt of the release order, the vehicle or things shall be released forthwith.

(5) If after the period of 15 days from the date of detention, due toll and/or penalty is not paid, the vehicle or things detained may be disposed of by the Toll Tax Officer by public auction at the risk and expenses of the operater of the vehicle concerned and the sale proceeds shall be disbursed to the operator after deducting there from the amount of toll and/or penalty due alongwith the expenditure incurred on the auction.

(6) The cash security shall be adjusted towards the penalty and the amount remaining in balance, if any, shall be returned to the operator.

(7) All the Toll Tax Officers may check any vehicle plying in the State for the purpose of verifying whether toll has been paid or not.

4. *Appellate authority under clause* 7(2).—The appellate authority for the purpose of clause (2) of clause 7 shall be Director Transport, Himachal Pradesh under the Ordinance.

5. *Manner of levy, payment and cellection of toll under clause* 8(1).—(1) The driver or the person incharge of the motor transport vehicle shall pay the toll in cash to the Toll Tax Officer at the barriers established for the collection of toll against proper receipt in Form-III.

(2) If the Toll Tax Officer has reason to believe that a motor transport vehicle has entered the limits of Himachal Pradesh without payment of toll, due, he may, at

any time after giving due opportunity to the driver or person incharge of the motor transport vehicle of making a representation, levy a toll on such vehicle and realise the same.

6. *Lump sum agreement under clause* 9.—Where an agreement to pay the toll in lump sum has been entered into in Form-IV, such agreement together with endorsement showing the entries of payment of toll, duly authenticated by the Toll Tax Officer or incharge of barrier, shall be produced on demand by the Toll Tax Officer or the incharge of barrier, as the case may be. The calculation for lump sum will be made on the prevalent rate multiplied by the number of days for which the agreement is entered into.

FORM-I

DETENTION ORDER

(In triplicate)

[*Rule* 3 (1)]

No..... Dated.....

The driver of vehicle No.....has failed to make payment of toll at the time of entry in the State of Himachal Pradesh. He was given a reasonable opportunity of being in heard in person to explain the reasons for not depositing the toll. He has failed to explain the cogent reasons for not depositing the toll. I am satisfied that he has committed breach of provisions of the Himachal Pradesh Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance, 1992 and Rules made thereunder. I, therefore, detain the vehicle or any part or accessory..... for the realization of the toll.

Toll Tax Officer.
(Seal)

Endorsement No. Dated the

A copy to :

1. The Owner/Driver of the vehicle.
2. Police Officer.
3. Office file.

Toll Tax Officer.
(Seal).

FORM-II

RELEASE ORDER

[*Rule* 3(4)]

Whereas the Vehicle No./accessory.....was detained *vide*

order No.....dated.....for not making payment of toll. Since the said payment of toll has been realised from owner/driver of the vehicle, I, therefore, order of the release of vehicle/accessory.

Toll Tax Officer.
(Seal)

Endorsement No. Dated

A copy to the :—

1. Owner/Driver of vehicle.
2. Police Officer.
3. Office file.

Toll Tax Officer.
(Seal)

FORM-III

[*Rule* 5 (1)]

Book No.....Receipt No.....Dated.....

TRANSPORT DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH

Account Head :—0041—Taxes on Vehicles.
102—Receipts under the State Motor Vehicles Taxation Act.
03—Toll (Pathkar)

Received with thanks from Shri.....
.....a sum of Rs.....(in words)
.....by cash.....on account of toll (pathkar) in respect of Vehicle No.....on its entry in Himachal Pradesh State on

Signature
Toll Tax Officer or
Officer Incharge of the Barrier.

FORM-IV

LUMP SUM AGREEMENT

(*Rule* 6)

This agreement is made the.....day of.....in the year..... between the Toll Tax Officer or Incharge of the barrier on one part and Shri..... the operator of vehicle No.....on the other part. Whereas the

operator of the vehicle is desirous of making the payment of toll in lump sum amounting to Rs.....for the period.....in advance.

Signature of
Toll Tax Officer or
Incharge of the barrier.

Signature of
Operator of Vehicle
No.....

By order,
Sd/-
Secretary to Government of
Himachal Pradesh,
Transport Department.

Endst. No 9-2/92-Tpt. II *Shimla-2, October,* 1992.
Copy forwarded to:—
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sd/-
Secretary to the Government
of Himachal Pradesh, Shimla.

शिमला-2, 21 अक्तूबर, 1992

संख्या 9-2/92-परि0.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटर परिवहन यान (पथकर) अध्यादेश, 1992 की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शैक्षणिक संस्थाओं के स्वामित्व की बसों, एम्बुलैंसों, दमकलों, स्टेज कैरिज बसों और सरकारी यानों को उपरोक्त अध्यादेश की धारा 3 के उपबन्धों के अधीन दिनांक 24-10-1992 से देय पथकर के संदाय से छूट प्रदान करते हैं।

[*Authoritative English Text of the Government Notification No.* 9-2/92-*Tpt., dated* 21-10-92 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Shimla-171002, *the* 21*st October*, 1992.

No. 9-2/92-Tpt.—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Himachal Pradesh Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance, 1992, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to exempt the buses owned by the educational institutions, ambulances, firetenders, stage carriage buses and Government Vehicles from the payment of toll, as payable under the provision of section 3 of the aforesaid ordinance with effect from 24-10-1992.

शिमला-2, 21 अक्तूबर, 1992

संख्या. 9-2/92-परि0.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटर यान (पथकर) अध्यादेश, 1992 की धारा-3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर यान अधिनियम, 1988 के

अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये गये अनुज्ञापत्र के अधीन चलने वाले उन मोटर परिवहन यानों पर, जो हिमाचल प्रदेश राज्य की परिसीमाओं में प्रवेश करते हैं, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर दिनांक 24-10-1992 से पथकर उद्गृहित करते हैं :—

अनुसूची

क्र0 संख्या	वाहन	दर
1.	भारी परिवहन यान	रु0 100
2.	मध्यम परिवहन यान (टैक्सियों को छोड़कर)/हल्के परिवहन यान	रु0 75
3.	टैक्सी	रु0 50

[*Authoritative English Text of the Government notification No. 9-2/92-Tpt. dated* 21-10-92 *as required under Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Shimla-2, the 21st October, 1992

No. 9-2/92-TPT —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Himachal Pradesh Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance, 1992, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to levy a toll at the rates specified in the Schedule given below with effect from 24-10-1992 on the motor transport vehicle plying under a permit granted under the Motor Vehicles Act, 1988, by an authority having jurisdiction outside the State of Himachal Pradesh entering the limits of the State of Himachal Pradesh.

SCHEDULE

Sl. No.	Vehicles	Rate
1.	Heavy Transport Vehicle	Rs. 100
2.	Medium Transport Vehicle, Light Transport Vehicle, excluding taxies	Rs. 75
3.	Taxi	Rs. 50

शिमला-2, 21 अक्तूबर, 1992

संख्या 9-2/92-परि0.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटर परिवहन यान (पथकर) अध्यादेश, 1992 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पथकर के संग्रहण के प्रयोजन के लिए नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट बैरियरों को दिनांक 24-10-92 से स्थापित करते हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	बैरियर का नाम	जिले का नाम
1	2	3
1.	कुड्डू	शिमला
2.	परवाणू	सोलन
3.	बरोटीवाला	
4.	धरोवाल	
5.	बद्दी	
6.	धबोटा	

1	2	3
7.	काला अम्ब	सिरमौर
8.	बेहराल	
9.	गोविन्दघाट (पांवटा साहिब)	
10.	हरिपुर	
11.	स्वारघाट	बिलासपुर
12.	गोलथाई	
13.	श्री नैना देवी जी	
14.	कन्डवाल	कांगड़ा
15.	संसारपुर	
16.	इन्दौरा	
17.	कन्दरोडी	
18.	सुरजपुर	
19.	तुनूहट्टी	चम्बा
20.	गगरेट	ऊना
21.	पान्डोगा	
22	मैहतपुर	
23.	संतोखगढ़	
24.	बालकवाह	
25.	भटोली	
26.	बसदेहरा	
27.	सलोह	
28.	मारवाड़ी	

[*Authoritative English Text of the Government notification No.* 9-2/92-*Tpt., dated* 21-10-1992 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Shimla-2, the 21*st October,* 1992

No. 9-2-/92-Tpt.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Himachal Pradesh Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance, 1992, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to establish the barriers as specified in the Schedule given below for the purpose of collection of the toll, with effect from 24-10-1992:—

SCHEDULE

Sl. No. 1	Name of barrier 2	Name of district 3
1.	Kudu	Shimla
2.	Parwanoo	Solan
3.	Barotiwala	
4.	Dherowal	
5.	Baddi	
6.	Dabhota	

1	2	3
7.	Kala Amb	Sirmaur
8.	Behral	
9.	Govindghat (Paonta Sahib)	
10.	Haripur	
11.	Swarghat	Bilaspur
12.	Golthai	
13.	Shri Naina Devi Ji	
14.	Kandwal	Kangra
15.	Sansarpur	
16.	Indora	
17.	Kandrori	
18.	Surajpur	
19.	Tunnu Hatti	Chamba
20.	Gagret	Una
21.	Pandoga	
22.	Mehatpur	
23.	Santokhgarh	
24.	Palkwah	
25.	Bhatoli	
26.	Basdehra	
27.	Saloh	
28.	Marwari	

शिमला-2, 21 अक्तूबर, 1992

संख्या 9-2/92-परि0.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटर परिवहन यान (पथकर) अध्यादेश, 1992 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर पथकर अधिकारी के रूप में दिनांक 24-10-1992 से नियुक्त करते हैं :—

अनुसूची

आबकारी एवं कराधान विभाग में :

1. समस्त सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ।
2. समस्त आबकारी एवं कराधान अधिकारी ।
3. बैरियर पर तनात समस्त आबकारी एवं कराधान निरीक्षक/बैरियर का प्रभारी अधिकारी ।

परिवहन विभाग में :

1. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश ।
2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ।

[*Authoritative English Text of the Government notification No.* 9-2/92-*Tpt., dated* 21-10-1992 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Shimla-171 002, *the* 21*st October*, 1992

No. 9-2/92-Tpt.—In exercise of the powers conferred by clause (*f*) of sub-section (1) of section 2 of the Himachal Pradesh Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance, 1992, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the following officers as specified in the schedule given below, to be the Toll Tax Officers within their respective area of jurisdiction with effect from 24-10-1992:—

SCHEDULE

In the Excise & Taxation Department :

1. All Assistant Excise & Taxation Commissioners.
2. All Excise & Taxation Officers
3. All Excise & Taxation Inspectors posted at Barriers/Officers Incharge of Barriers.

In the Transport Department :

1. Secretary, State Transport Authority, Himachal Pradesh.
2. Regional Transport Officers.

By order,
R. K. ANAND,
Financial Commissioner-cum-*Secretary*.